सोनू बनाम नवरतन

34/2022

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 22/5/24 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अदालत प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के बार-बार आवाज लगवाई गई उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का पक्ष बहस हाजरी बहस छोड़ने में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से चाही। अदालती हासिल दुरुस्त हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |

सांगानेर
सा.1 व 2
22/05/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested